# The Gazette of India

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] No. 55] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2005/माघ 25, 1926

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2005/MAGHA 25, 1926

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

# शब्द्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 68(अ) — भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. 7(105)96/ का.शा.-1 दिनांक 7 जनवरी, 2005 के हिन्दी पाठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रणाली शाखा के भर्ती विनियमों के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन/सुधार किया जाता है:--

	अधिसूचित/प्रकाशित	सुधार/शुद्ध करना
<ol> <li>प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्वदनामित के पद हेतु भर्ती विनियम</li> </ol>	) 50 प्रतिशत भर्ती द्वारा	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
अनुबंध सं3		
पृष्ठ-4 व 5	,	
कॉलम-10		
भर्ती की पद्भति		
2. सहायक निदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम	<b>समूह"</b> "ग"	समूह ''क''
अनुबंध सं4	•	
पृष्ठ सं5 व 6		
कॉलम−3		•
वर्गीकरण		
<ol> <li>उपनिदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम</li> </ol>	<del>জ্ব</del> ান-6	पांच-5
अनुबंध सं5	समय-समय पर स्वीकृति	समय-समय पर स्वीकृति
<b>पृष्ठ</b> सं ७ व ८	के अनुसार परिवर्तनीय	के अनुसार परिवर्तनीय
कॉलम-2, पदों की संख्या	<del>-</del>	. <del>-</del>
		[सं. फा. 7(105)96/पीबी-I]

विश्व मोहन बंसल, मुख्य आयुक्त एवं सचिव

# **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

(Personnel Branch-I)

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th February, 2005

G.S.R. 68(E).—In partial modification of Notification No. F.7(105)96/PB-I dated 7-1-2005 published in the Gazette of India, under Part-II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary, the following rectifications/corrections in respect of Recruitment Regulations for System Cadre are made as under:—

	Notified/Published	Rectification/Correction made
Annexure-3, P-12-13     Recruitment Regulations for the post of Programmer-cum-Console Operator (Now renamed as Programmer)     Col. No. 15     Power to relax	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may be order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.
2. Annexure No. 5, P-15 and 16 Recruitment. Regulation for the post of Deputy Director (Systems). Commin No. 2 No. of posts	*Six (6)  *Subject to variation as per sanction from time to time	*Five (5) *Subject to variation as per sanction from time to time.

[No. F. 7(105)96/PB-I]

V.M. BANSAL, Pri. Commissioner-cum-Secy.

# He Gazette of India

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. .7] No. 7]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2005/पौष 17, 1926 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2005/PAUSA 17, 1926

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शास्ता-1)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2004

सा०का०नि० ८( अ ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के उप-नियम 4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रणाली शाखा के विभिन्न पदों के लिए अनुबंध-1 से अनुबंध-6 के अनुसार भर्ती विनियम बनाता है/भर्ती नियमों में संशोधन करता है।

# अनुबंध संख्या पद का नाम, जिसके लिए भर्ती विनियमों को अधिसूचित किया जा रहा है।

- कनिष्ठ डाटा सहायक
- 2. वरिष्ठ डाटा सहायक
- प्रोग्रामर-एवं-कंसोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्पदनामित)
- 4. . सहायक निदेशक (प्रणाली)
- उप निदेशक (प्रणाली)
- निदेशक (प्रणाली)

#### अनुबन्ध-१

# कनिष्ठ डाटा सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. किनिष्ठ डाटा सहायक	* आठ (8)  *वर्तमान पदधारियों की पदोन्नति अथवा सेवा निवृत्ति अथवा त्याग-पत्र के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे।	समूह-ग	4500-125-7000/- रुपये	लागू नहीं
88 CT/3004		/11	·. · · · · ·	

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़े।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो। जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

अनुबन्ध-2 वरिष्ठ डाटा सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकर	ण वेतनमान	·· ,	क्या चयन पद है अथवा अचय पद है ?
(1)	(2)	(3)	(4)	<del></del>	(5)
<ol> <li>वरिष्ठ डाटा सहायक</li> </ol>	* चार (4)  *वर्तमान पदधारियों की पदोन्नति अथवा सेवा निष्ठृत्ति अथवा त्याग-पत्र के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे	समृह-ग	5000-150-8000	/ रुपये	चयन पद
क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु	अपेक्षित शैर्क्षा	णेक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन	नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों
ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) रि 1972 के नियम 30 के अंतर्गत र में किसी वर्ष को जोड़ने का र अनुमेय हैं ?	नेयम, सेवा			मामले में	सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारि शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंग
(6)	<del></del>	(7)		<del></del>	(8)
क. 30 वर्ष से अधिक नहीं।	योग्यता :				लागू नहीं
<b>জ</b> . নৰ্চী	अनिवार्य :				
•	1. किसी मान्यत	ा प्राप्त विश् <b>व</b>	विद्यालय से स्नातक।		
		डी.ओ. ई.ए.र	नेक्स एक्रीडिटेशन ऑफ प्री.सी.) से 'ओ'स्तर की		
		न कार्य करने र	ति घंटा की गति से डाटा में समर्थ हों, जिसकी जांच किती जाएगी।		
·	4. डाटा एँट्री/डाट का अनुभव।	य सत्यापन एव	वं वैद्यता में न्यूनतम 5 वर्ष		
परिवीक्षा अविधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी व अथवा पदोन्नति द्वारा स्थानांतरण द्वारा अथवा उ द्वारा और विभिन्न पद्धतिय जाने वाली रिक्तियों की व	अथवा गितनियुक्ति गेंद्वारा भरी	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांत प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी वह प्रेड, जिससे पदोन्नति/ तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी	हैं तो स्थानां~	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ?
(9)	(10)		(11)		(12)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न सीधी भर्ती द्वारा।	होने पर	पदोन्नित ग्रेड में कम-से-कम 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वार कनिष्ठ डाटा सहायक से		समूह 'ग' विभागीय पदोन्तर्ति समिति

<b>बचाव</b> नि		निरहंता			शिथिल करने की शक्ति
(13)		(14)		(15)	
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।		कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने अपने पति/ पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो।		जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करन आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखि रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथव वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध र इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	
		अनुबन्ध-उ			·
प्रोग्रामर एवं	कन्सोल ऑपरेट	र ( अब ग्रोग्रामर के रूप		पद हेतु भ	र्ती विनियम
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान		क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ?
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	* आठ (8) *संस्थीकृति के अनुसार समय- समय पर परिवर्तनीय	समूह-ख	5500-175-9000	/- रुपये	चयन पद
क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय हैं ?		हितु अपेक्षित शैक्षणिक ए	वं अन्य योग्यताएं	मामले में	नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारि शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
(6)		(7)			(8)
क. 30 वर्ष से अधिक नहीं। ख. लागू नहीं	कालेज/संब	ः सी मान्यताप्राप्त विश्व स्थान से कम्प्यूटर/विज्ञान/व क्स में इंजीनियरिंग डिग्री।			आयु—नहीं शैक्षिणक योग्यता—नहीं
	संस्थान से डिग्री। डिपार्टमेंट कोर्स (डी.	अथवा पता प्राप्त विश्वविद्यालय, १ कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर १ अथवा ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडि ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'ब्री' १	एप्लीकेशन में मास्टर टेशन ऑफ कम्प्यूटर		
		नेयर विकास, आर डी बी में एक वर्ष का अनुभव।	एम एस और डाटा		

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानां-	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका क्या गठन है
(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठ डाटा सहायकों में से, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत भर्ती द्वारा।	पदोन्नित ग्रेड में कम-से-कम 8 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले वरिष्ठ डाटा सहायको में से।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति

ন্ত্ৰাপ	निरर्हता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा—	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़े।

काइ भा एसा व्याक्त उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा— जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध

किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो।

जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

अनुबन्ध 4 सहायक निदेशक ( प्रणाली ) के पद हेतु भर्ती विनिधम

पदकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक निदेशक (प्रणाली)	आठ (8)* * समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय	समूह-ग	8000-275-13,500 रुपये	चयन पद

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

क्या पदोन्तत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी

कर सकते हैं।

के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या

आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर

प्रतिकृलं प्रभाव पड़े।

# अनुबन्ध-5

# उप निदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम

फ्द का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ol> <li>उप निदेशक (प्रणाली)</li> </ol>	* छह (6) * समय-समय पर स्वीकृति के	समूह-क	10,000-325-15,200 रुपये	चयन पद
' .	अनुसार परिवर्तनीय			

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

क्या पदोन्तत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी

(6)

(7)

(8)

क. 40 वर्ष से अधिक नहीं।

योग्यता :

आयु: नहीं

(सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)

अनिवार्य :

शैक्षणिक योग्यता : नहीं

ख. नहीं

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ इलैक्ट्रोनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज/ संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री।

#### अथवा

डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिटेशन्स ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

2. प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्वयन, प्रणाली एवं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रणाली प्रशासन का होना चाहिए!

			[1 AK1 II—SEC, 5(1)
परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्घति सीथी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानां- तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है
(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नित : ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक निदेशक (प्रणाली) से। प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में समान पद पर कार्यरत अधिकारियों से।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति

बचाव	निरर्हता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन- जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पित/ पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

# अनुबन्ध~6 निदेशक ( प्रणाली ) के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक (प्रणाली)	* एक * समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय	समूह-क	12,000-375~16,500 रुपये	चयन पद

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी

(6)	(7)		(8)	,		
क. लागू नहीं	योग्यता :		लागू नहीं	· <u>-</u>		
ख. नहीं	अनिवार्य :		-			
	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग					
	कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर वि	ज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरि	रंग/			
	इलैक्ट्रोनिक्स में इंजीनियरिंग <i>ि</i>	<b>ड</b> ेग्री।				
	अथव	<b>भ</b> र		•		
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्या	ालय, <b>इं</b> जीनियरिंग काले	জ/			
	संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम					
	डिग्री।					
	अथव	मा				
•	डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिय	<b>क</b> स एक्रीडिटेशन्स अं	ĭफ			
	कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.र	सी.सी.) से 'बी' स्तर	की			
	परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।					
•	2. सूचना प्रणाली के प्रबंधन मे	में 2 वर्ष के अनुभव स <u>्</u> रा	हेत			
	प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन,	सॉफ्टवेयर विकास	एवं			
•	कार्यान्वयन, प्रणाली एवं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का दस					
	वर्ष का अनुभव।					
			<del></del>			
परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा	यदि भर्ती पदोन्नति	<b>स्थानांतर्</b> ण/	यदि विभागीय पदोन्नति समिरि		
	अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा	प्रतिनियुक्ति द्वारा क	ी जानी है तो	है तो इसका क्या गठन है ?		
	स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति	वह ग्रेड, जिससे पर	तेन्नति/स्थानां-			
	द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी	तरण/प्रतिनियुक्ति व	<b>ही जानी है</b> ।			
	जाने वाली रिक्तियों की प्रशितता।	·				
(9)	(10)	(11)		(12)		
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर	पदोन्नति	•	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति		
•	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर	ग्रेड में कम से कम	5 वर्ष की	समिति		
	सीधी भर्ती द्वारा।	नियमित सेवा रखने	वाले उप-			
		निदेशक (प्रणाली)	से।			
	,	प्रतिनियुक्ति :		•		
		केन्द्र/राज्य सरकार/				
	•	के उपक्रम/स्वायत्त				
····		पद पर कार्यरत अधि	थकारियों से।			
		<u>,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
बचाव	निरईता		হি	गथिल करने की शक्ति		
(13)	(14)			(15)		
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है,				की यह राय हो कि ऐसा करन		
केन्द्रीय सरकार∕दिल्ली विकास प्रा	-			वा समीचीन है, तो वह लिखि		
तरा समय-समय पर जारी आ	w.			रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथव		
अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचि		अनुबंध किया		क्तयों अथवा पदों के संबंध में इ		
जाति, भूतपर्वू सैनिक और अन्य विशे				त्सी उपबंध को आदेश <b>द्वारा शिथि</b> र		
या व्यक्तियों को मिलने वाले आर			कर सकते हैं।			
आयु-सीमा में छूट और अन्य रिया	यतों पर					

[सं.एफ. 7 (105)96/का.शा.-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## (Personnel Branch-I)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2004

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Sub-rule 4 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes/amend the Recruitment regulation with the previous approval of the Central Government for the various posts of System Wing as per the Annexure-1 to Annexure-6.

Annexure No.	Name of the Post for which RRs to be Notified
1.	Junior Data Assistant
2.	Senior Data Assistant
3.	Programmer-cum-Console Operator (Now renamed as Programmer)
4.	Assistant Director (System)
5.	Deputy Director (System)
6.	Director (System)

# Annexure-1 RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF JUNIOR DATA ASSISTANT

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post
1	2	3	4	5
Jr. Data Assistant	8*  *To be abolish promotion or resignation incumbents.	tirement	4500-125-7000/-	Not applicable
(a) Age limit for dire (b) Whether benefit years of service under rule-30 of (Pension) Rules	t of any added admissible CCS	Educational and other quarequired for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.
6		7		8
(a) Not exceeding 2	25 years	Qualification:		N.A.
(b) N.A.		Electronics Accredicated Course (DOEACC)  (iii) Data entry/Verifica	assed 'O' level m the Deptt. of itation of Computer	

Period of probation, if any

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations & percentage of the vacancies to be filled by various methods. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made

If a DPC exists what is its composition

9

10

11

12

Two years

By direct recruitment

NA,

Group 'C' DPC

Saving Disqualification Power to relax

13 14 15

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

# Annexure-2 RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF SENIOR DATA ASSISTANT

Name of post	No. of posts		Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2		. 3	4	5
Senior Data Assistant	4*  *To be abolished promotion or resignation of incumbents.	tirement	Group 'C'	Rs, 5000-150-800	OO Selection post
(a) Age limit for d (b) Whether bene years of servic under Rule 30 (Pension) Rule	fit of any added the admissible of CCS		onal and other qual for direct recruits	fications	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.
. 6			7		8
(a) Not exceeding	30 years	Qualific	ation :		N.A.
(b) No		Essentia	J.		
		(i) Gr	raduate from a reco	gnised University	•
			nould have pas amination from the E		

Accreditations of Computer Course (DOEACC).

- (iii) Data entry/Verification with a speed of 10,000 key depression per hour to be tested by D.P.C.
- (iv) Atleast 5 years experience in Data entry/ verification and validation of data.

Period of probation, if any

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made If a DPC exists what is its composition

9

10

11

\_\_\_

Two years

By promotion failing which by direct recruitment

**Promotion**From Jr. Data Assistant with atleast 5 years regular service in the grade

Group 'C' DPC

12

Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

#### Annexure-3

# RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF PROGRAMMER-CUM-CONSOLE OPERATOR (NOW RENAMED AS PROGRAMMER)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post
1	2	3	4	5
Programmer-cum- Console operator (Now renamed as Programmer)	8* *Subject to variation as per sanction from time to time	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000	Selection post

Educational and other qualifications (a) Age limit for direct recruitment Whether age and educational (b) Whether benefit of any added required for direct recruits qualification prescribed for the years of service admissible direct recruits will apply in the under Rule 30 of CCS case of promotees and deputa-(Pension) Rules, 1972 tionists. 6 8 (a) Not exceeding 30 years Qualification: Age: No (b) No Essential-Educational Qualification: No (i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/ Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute. OR Master Degree in Computer Science/ Computer Application from a recognised University, Engineering College/ Institute OR Should have passed 'B' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC). (ii) One year experience in Software Development, RDBMS and Data Processing. Period of probation, Method of recruitment, whether In case of recruitment by promo-If a DPC exists what is if any by direct recruitment or by promotion/transfer/deputation grades its composition motion or transfer or by depufrom which promotion/transfer/ tations and percentage of the deputation is to be made vacancies to be filled by various methods. 9 10 11 12 Two years 50% by promotion, from Sr. Data Promotion: Group 'B' DPC Asstts, failing which by direct From Sr. Data Assistant with atleast recruitment 8 years regular service in the grade. 50% by direct recruitment. Saving Disqualification Power to relax ₿ Б Nothing in these regulations shall affect No person who has entered When the Chairman is of the opinion that it is reservation, relaxation of age limit and into or contracted a second necessary or expedient so to do, he may be other concessions required to be promarriage when his/her spouse order, for reasons to be recorded in writing vided for the Scheduled Castes, the relax any of the provisions of those regulations is alive. Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and in respect of any class or category or persons other special categories or persons in or posts. accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

# Annexure-4

# RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (SYSTEMS)

Name of post	No. of posts	•	Classification	Scale of pay		hether selection post or non- ection post
1	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4		5
Assistant Director (Systems)	*Eight (8) *Subject to var per sanction fro time	riation as	Group 'A'	Rs. 8000-275-1:	3500/-	Selection post
(a) Age limit for dire (b) Whether benefit years of service under Rule 30 of (Pension) Rules,	of any added admissible CCS		l and other qual r direct recruits	ifications	qualif direct	her age and educational fication prescribed for the recruits will apply in the of promotees and deputats.
6			7		8	
(a) Not exceeding 3	5 years	Qualificati	o <b>n</b> :		Agc—	-No
(b) No		Essential-	_		Educa	itional Qualification—No
		Scien Elect	nce/Computer	ce in Computer Engineering/ cognised University ge/Institute.		
			OR			
,		Com	puter Application ersity, Engin	Computer Science/ in from a recognised deering College/		
			OR .			
•		exan Elect	nination fron	ssed 'B' level the Deptt. of ations of Computer		
		Desi Impl	gn, Software I	n System analysis, Development and as well as Data		

Period of probation, if any

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made If a DPC exists what is its composition

9

10

11

12

Two years

Saving

50% by promotion, failing which by direct recruitment 50% by direct recruitment

**Promotion**From Programmer with at least 5 years regular service in the grade

Power to relax

Group 'A' DPC

Nothing in these requiations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by

the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard. No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive

14

Disqualification

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

15

# Annexure-5 RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (SYSTEMS)

Name of post	No. of posts		Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	
1	2		3	4	5	
Deputy Director *Six(6) (Systems) *Subject to value per sanction for time			Group 'A'	Rs. 10000-325-15	0-325-15200/- Selection post	
(a) Age limit for dir (b) Whether beneft years of service under rule-30 o (Pension) Rules	it of any added admissible fCCS		n and other qualific for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	
6			7 .		8	
(a) Not exceeding (relaxable for Go	•	Qualifica	ation :		Age No Educational Qualification No	
(b) No		Essential	1	•		

7

(i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/ Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute.

OR

Master Degree in computer Science/ Computer Application from a recognised University, Engineering College/ Institute

OR

Should have passed 'B' level examination from the Deptt, of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC).

(ii) Seven years experience in System Analysis, Design, Software Development & Implementation System and Network Administration out of which atleast 3 years experience should be in actual system Administration.

Period of probation, if any

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made If a DPC exists what is its composition

9

10

11

12

Two years

By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment Promotion

From Asstt. director (Systems) with at least 5 years regular service in the grade.

Group 'A' DPC

Deputation:

Officers holding analogous posts under the Centre/State Govt./
Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation.

Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

## Annexure-6

# RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF DIRECTOR (SYSTEMS)

Name of post	No. of posts	C	lassification	Scale of pay		ther selection post or non tion post
1.	2	<del></del>	3	4		5
Director (Systems)	*One (1) *Subject to variager sanction from time	ation as	roup 'A'	Rs. 12000-375-16	5500 Sele	ection post
				<u> </u>		
(a) Age limit for direction (b) Whether benefit years of service a under Rule-30 of (Pension) Rules,	of any added admissible CCS		and other quali direct recruits	fications	qualifica direct re	r age and educational ation prescribed for the cruits will apply in the promotees and deputa-
6			7			8
(a) Not applicable		Qualification	1:		Not	applicable
(b) No		Essential:			,	
		Electr Univer Institu	onics from rsity or Engin te CR	Engineering/ a recognised eering College/		
٠.		Compu	ter Application rsity, Engine	imputer Science/ from a recognised ering College/		
			OR			
		exami Electro	nation from	sed 'B' level the Deptt. of ions of Computer		
		Design Implen Admin	n, Software I nentation Syste	System Analysis, Development & em and Network atleast 2 years in a systems.		
Period of probation, if any	Method of recruitment on or transtations and pervacancies to be various method.	itment or by p sfer or by dep ercentage of the e filled by	ro- motion u- from w	of recruitment by p /transfer/deputatio hich promotion/tra tion is to be made	n grades	If a DPC exists what is its composition

various methods

9

10

11

Two years

By promotion, failing which by deputation, failing which by direct recruitment

Promotion:

From Deputy Director (Systems) with atleast 5 years regular service in the grade.

Group 'A' DPC

12

### Deputation:

Officers holding analogous posts under the Centre/State Govt./ Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation

Saving	Disqualification	Power to relax
. 13	14	15
no in these manufactures of 11 cc.		

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

[No. F. 7 (105) 96/PB-I]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.